संख्या-691/15-7-2019/1(3)/2017टी0सी0

प्रेषक,

कनक त्रिपाठी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक(मा0),
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ दिनांकः 23 अप्रैल 2019

विषयः- उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या-1448/15-7-2018-1(3)/2017टी0सी0 दिनांक 25.09.2018 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 31.10.2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रत्येक जिले में जिला शुल्क नियामक समिति का गठन कराते हुए अधिनियम के समस्त उपबन्धों को लागू कराने के निर्देश दिये गए हैं। उ0प्र0 स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 की धारा-8 द्वारा जनपदवार राज्य की प्रत्येक जिले में जिला शुल्क नियामक समिति का गठन किया गया है। जिसके अध्यक्ष सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट होंगे।

उक्त सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि किसी जनपद में अभी भी जिला शुल्क नियामक समिति का गठन न हुआ हो तो उसका गठन तत्काल कराते हुये अधिनियम के समस्त उपबन्धों को लागू कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। कृपया अधिनियम का पालन न करने वाले विद्यालयों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही भी करने का कष्ट करें।

भवदीया,
कनक त्रिपाठी
सचिव।

संख्या-691(1)/15-7-2019/1(3)/2017टी0सी0तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
3- अपर शिक्षा निदेशक (मा0), उ0प्र0, प्रयागराज।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
बी0बी0 सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in